


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेन्द्र कुमार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य अपील जीसीएमएस नम्बर 2019 / 00232	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विद्गो प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र विद्गो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से उपरोक्त उनवानी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को आज ही विद्गो किये जाने की अनुमति प्रदान कर अपील को इसी स्तर पर निस्तारित कर खारिज करने की कृपा करें।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये एवं वकील अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर तस्दीक किया गया।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रा. पत्र विद्गो स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया स्वयं अपील विद्गो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">  (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर </p>	